न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्तत्व वाद सं0–11/2017

हरख नारायण साह.....वादी

बनाम

बिपत दिसवा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 06.08.2022 से संबंधित आदेश 13 नियम 01 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 74 एवं 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 06.08.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है। वादी द्वारा प्रतिवादी के पिता पथल दिसवा द्वारा निष्पादित बयनामा दस्तावेज दिनांक 19.08.1968 बनाम बहक सरल साह निष्पादित किया है। जिसकी सच्ची प्रतिलिपि दाखिल की जा रही है। सरल साह वादी के पिता है। प्रस्तुत दस्तावेज का मूल कहीं खो गया है। बयनामा दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 19.08.1968 पथल दिसवा बनाम सरल साह वादपद निर्धारण के समय दाखिल नही हो सकी तथा सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त करने के पश्चात् अन्यत्र बक्से में रखे जाने के कारण पूर्व में दाखिल नही हो सकी। प्रस्तुत कागजात दाखिल करने में जानबुझकर विलंब नही किया गया है। बल्कि परिस्थितिवश विलंब हो गया है। अतः विलंब को माफ कर कागजात को अभिलेख पर रखने हेतु ग्रहण करना आवश्यक है। बयनामा दस्तावेज दिनांक 19.08.1968 पथल दिसवा बनाम सरल साह की सच्ची प्रतिलिपि लोक दस्तावेज है। जिसे साबित करने के लिए किसी औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नही है। अतः प्रदर्श अंकित करने की भी कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 22.09.2022 को दाखिल कर विरोध किया गया तथा कहा गया कि वादी का आवेदन कानून की दृष्टि से खारिज होने योग्य है। वादी ने जो बयनामा दस्तावेज श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया है उस बयनामा दस्तावेज का वादी द्वारा अपने वादपत्र में कहीं भी वर्णन नही किया गया है।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्तत्व वाद सं0–11/2017</u>

हरख नारायण साह.....वादी

बनाम

बिपत दिसवा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 01.09.2023	उक्त बयनामा दस्तावेज जाली, फर्जी, अवैध एवं शुन्य है। इसलिए प्रदर्श होने योग्य नही है बल्कि खारिज योग्य है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों को के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है अभिलेख अभी वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निपटारा सभी आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिससे वाद की बहुलता को रोका जा सके। वादी के द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद के संबंध में सुसंगत प्रतीत होते है। वादी के द्वारा आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में विलंब माफ करते हुए मो0–1000/– रूपये हर्जे पर वादी का आवेदन निस्तारित किया जाता है तथा पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर रखें। आगामी दिनांक 20.09.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	